

फार्म डी - 6  
(देखें नियम-4)

गारण्टी विमोचन निधि (जी.आर.एफ.)

(राशि रू. करोड़ में)

| पिछले वर्ष के अंत में याचित बकाया गारण्टी | पिछले वर्ष के अंत में जी.आर.एफ. में बकाया राशि | चालू वर्ष के दौरान याचना संभावित बकाया गारण्टी | चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में जोड़ | चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से आहरण | चालू वर्ष के अंत में जी.आर.एफ. में बकाया राशि |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3  | 4                                     | 5                                    | 6   |
| 0.00                                      | 500.00   | 0.00   | 500.00                                | 0.00                                 | *1000.00                                      |

**टिप्पणियाँ:**

1. जी.आर.एफ. के नियमानुसार, हर वर्ष के दौरान सरकार से अपेक्षित है कि याचित बकाया गारण्टियों के न्यूनतम 1/5 की समान राशि तथा वर्ष के दौरा जारी वर्धित गारण्टियों के परिणाम स्वरूप याचित समराशि का अंशदान करें ।
2. पिछला वर्ष से तात्पर्य है कि वर्ष का पहला वर्ष ।
3. 19.02.2026 की स्थिति में निवेशित राशि पर ब्याज सहित कुल राशि 1,031.57 करोड़ है।